

अनुसूची 21-पारम सं०-113

संपत्ति अधिभार प्रमाण-पत्र

उपरोक्त संपत्ति का मूल्य ₹ 2000 प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं० 3112/2018
 चूंकि श्री Shri Krishna Devi

मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अधिभारों का सावधान प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अधिभारों के बारे में वही मैं
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 20 1988 से ता० to till date
 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अधिभारों का पता पड़ा

पता है अतः

3112/2018

क्र०सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza		Salem pur		Dumra			
	Thana No		10					
	Khalci No		101					
	Plot No		10 (P)					
	Tauza No		5295					
	Area		13.5 Dec					


[Handwritten signature]


1. दस्तावेज के अनुसार निवेश दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र को दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बर्तन को उनके शर में उल्लेख करें।
3. पट्टे की दशा में वट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
यदि यह प्रमाणित करता है कि उपरोक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ उस तारीख को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम):
कार्यालय: Patna
तारीख:


मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
26-10-18

टिप्पणी - इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्दिष्ट दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो दैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्यी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रकृतियों देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।


किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद दूटे गये संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, 9099
ज्ञाप संख्या:

दिनांक 26-10-18

आवेदक श्री Shri Krishna Das
का रूपमार प्रमाण-पत्र द्वारा Manager HC Housing Fin. Ltd
Frederic Road, Patna
का उनके पत्र संख्या _____ दिनांक _____ के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।


मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी
26-10-18
Patna